

परिवादी द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रकरण आज परिवादी साक्ष्य हेतु नियत है ।

इसी प्रास्थिति परिवादी अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव ने उपस्थित होकर व्यक्त किया कि हस्तगत परिवाद से संबंधित थाना मौ के अपराध क्रमांक 10/2016 में धारा 302 भा.द.सं. का चालान परिवाद-पत्र के आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत हो चुका है, इसलिए वह अब अपना परिवाद चलाना नहीं चाहते और इसी प्रास्थिति पर उनका परिवाद पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया । फलतः बल देने के अभाव में परिवादी का परिवाद निरस्त किया गया ।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयाविध में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये ।